स्थान पर चेनाराम पुत्र रूघाराम हेतु साक्ष्य स्वरूप आधार कार्ड संख्या 5051 3631 3903, पहचान पत्र संख्या RJ/02/192/0324015, स्थाई लेखा कार्ड संख्या CQAPC4916M तथा राशन कार्ड संख्या 00520 एवं भारतीय स्टेट बैंक मांगलोद में बचत खाता संख्या 61184217930 की छाया प्रति प्रदर्श पेश की। वकील प्रार्थी के द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करने के निवेदन पर साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा मौजा धारणा के वर्तमान (2073–2076) खाता संख्या 128 की जमा बंदी की नकल जिसमें प्रार्थी का नाम चेनाराम पुत्र रूघाराम के स्थान पर चेनराम पुत्र रूघाराम दर्ज है, को शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा धारणा के वर्तमान (2073–76) खाता संख्या 128 कि जमा बंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादग्रस्त भूमि जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थी का नाम चेनाराम पुत्र रूघाराम के स्थान पर चैनराम पुत्र रूघाराम मूलवश दर्ज किया जाना प्रतीत होता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर गलत नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये प्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा धाराणा के खता संख्या 128 के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.9587 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 573 रकबा 1.0603 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 580 रकबा 3.7555 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 1.6916 हैक्टेयर में दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: : आदेशः : –

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। **मौजा धाराणा के खता संख्या 128 के खसरा नम्बर 10 रकबा 1.9587 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 573 रकबा 1.0603 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 580 रकबा 3.7555 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 8 रकबा 1.6916 हैक्टेयर में दर्ज खातेदार काश्तकार का नाम चैनराम पुत्र रूघाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार के स्थान पर चैनाराम पुत्र रूघाराम हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार दुरूस्त** किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी का नाम माफिक आदेश राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे।

यह आदेश आज दिनांक 30/8/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल (नागौर)

Scanned with CamScanner